कार्यालयः– वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

वन भवन, चतरा– 825401 (झारखण्ड)

Ph. & Fax (o) - 06541- 298011 E-mail:- dfo-chatrasouth@gov.in

पत्रांक – 1141 दिनांक –15/05/2023

सेवा में,

श्री संजय कुमार,
परियोजना पदाधिकारी,
पिपरवार क्षेत्र सी0सी0एल0,
बचरा, टण्डवा।

विषय– टण्डवा प्रखण्ड अन्तर्गत सी.सी.एल. द्वारा पिपरवार परियोजना हेतु 43.30 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव का नवीकरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयके सन्दर्भ में सूचित करना है कि पिपरवार खुली खदान परियोजना हेतु 43.30 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव दिनांक 12.04.2023 को इस कार्यालय के ऑनलाईन पोर्टल पर प्राप्त हुआ है। समर्पित प्रस्ताव की जाँच भारत सरकार निर्गत चेकलिस्ट के अनुसार किया गया जिसमें कई त्रुटियाँ एवं वांछित अभिलेख नहीं पाये गये जो निम्नवत है–

1. विषयगत परियोजना 43.30 हे0 खुली खदान परियोजना 17.02.2012 को लीज समाप्त हो गया था परन्तु माईनिंग चलता रहा है। लीज अवधि समाप्त होने के उपरांत उक्त भूमि को समतल कर पौधारोपा करते हुए वन विभाग को हस्तगत कराना था जो नहीं किया गया है।
2. प्रस्ताव में संलग्न पार्ट–1 की कंडिका III में Scheme for which the forest land is required के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
3. प्रस्ताव में संलग्न पार्ट–1 की कंडिका A-2(xiii) में Proposal Submitted in past के column में वर्तमान समर्पित किये जाने का प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है इसमें संशोधन की आवश्यकता है।
4. प्रस्ताव में संलग्न पार्ट–1 की कंडिका A-5 में Stage-II Compliance के कंडिका 2 में अपयोजित होनेवाले वन भूमि के विरूद्ध क्षतिपूरक वनरोपण कराने हेतु समतुल्य गैर वन भूमि जो आपके द्वारा उपलब्ध कराया गया है उसे भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत अधिसूचित किया जाना है परन्तु इस संबंध में आपके द्वारा कोई सकारात्मक जबाव नहीं दिया गया है। विदित हो कि क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग की अध्यक्षता में सी.सी.एल. के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह निर्देश दिया गया था कि 43.30 हे0 अपयोजित होनेवाले वन भूमि के विरूद्ध समतुल्य गैर वन भूमि विभाग को उपलब्ध नहीं करा दिए जाते है तब तक प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
5. प्रस्ताव में संलग्न पार्ट–1 की कंडिका A-5 में Stage-II Compliance के कंडिका 5 में अपयोजित होनेवाले वन भूमि में प्रतिवर्ष किये गये माईनिंग क्षेत्र को Reclaim उसमें पौधारोपण करते हुए नक्शा एवं अभिलेख विभाग को समर्पित करना था जो अबतक नहीं किया गया है। इस शर्त के अनुपालन में विषयगत परियोजना के अतिरिक्त किये गये Reclaimation एवं Plantation का उल्लेख किया गया है।
6. प्रस्ताव में संलग्न पार्ट–1 की कंडिका A-5 में Stage-II Compliance के कंडिका 6 के अनुपालन में विषयगत माईनिंग परियोजना से संबंधित अन्य एवं सी.सी.एल. स्टाफ को एल.पी.जी. गैस

CamScanner

उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख किया गया है परन्तु इस संबंध में कोई अभिलेख एवं साक्ष्य संलग्न नहीं है, संलग्न किया जाय।

7. प्रस्ताव में संलग्न पार्ट–1 की कंडिका A-9 में Details of transfer of lease के कॉलम में Nil अंकित है इसके सभी कॉलमों में सही डाटा अंकित किया जाय।

8. प्रस्ताव में संलग्न पार्ट–1 की कंडिका B-1(ii) में Proposal submitted in past के कॉलम में वर्त्तमान में समर्पित किये जाने वाले प्रस्तावों का उल्लेख किया गया है जो सही नहीं है इसमें सुधार की आवश्यकता है।

9. प्रस्ताव में संलग्न पार्ट–1 की कंडिका C-ii(a) में Number of Patch- 5 अंकित है जबकि पैचवार रकबा जोड़ने पर 4 ही पैच में अपयोजित होनेवाले वन भूमि का कुल रकबा 43.30 हे0 हो जाता है। इसमें सुधार की आवश्यकता है।

10. प्रस्ताव में संलग्न पार्ट–1 की कंडिका K-(i) में वनाधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित प्रमाण–पत्र एवं इस क्रम में हुई ग्राम सभा कार्यवाही की प्रति को आनलाईन अपलोड करते हुए हार्ड कॉपी प्रस्ताव में संलग्न करना है, जो नहीं है। हार्ड कॉपी प्रस्ताव में संलग्न करें एवं ऑन लाईन प्रस्ताव में सुधार कर, अपलोड किया जाय।

11. प्रस्ताव के साथ ऑथेण्टिकेटेड लैण्ड शिड्यूल संलग्न नहीं है।

12. प्रस्ताव के साथ अन्डरग्राउण्ड माईनिंग का स्वीकृत माईनिंग प्लान संलग्न है, ऐसी स्थिति में सक्षम स्तर से स्वीकृत Surface Strain Predicted by 3-D subsidence prediction model Reportप्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

13. प्रस्ताव में संलग्न Geo-reference Map के अवलोकन से प्रतीत होता है कि माईनिंग क्षेत्र 4 पैचो में प्रस्तावित है जो सभी पैच एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है ऐसी स्थिति में बीच में पड़ने वाले क्षेत्र हो सकता है कि वन भूमि एवं जंगल झाड़ी भूमि हो इसलिए इसे कनेक्टीविटी को दर्शाते हुए मैप समर्पित करें।

14. प्रस्ताव के साथ कैडेस्ट्रल मैप 1ईंच =16 माईल के स्केल पर माईनिंग क्षेत्र को दर्शाते हुए संलग्न नहीं है।

अतः उल्लेखित त्रुटियों का निराकरण करने हेतु ऑनलाईन एवं हार्ड कॉपी प्रस्ताव आपको वापस करते हुए अनुरोध है कि संशोधित प्रस्ताव यथाशीघ्र इस कार्यालय में समर्पित किया जाय ताकि प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

15/05/2023

CamScanner